न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 53/2020

1. ओम प्रकाश पुत्र सोहन लाल, जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 10, पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्रसाद पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी बिजारणियावाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. भंवर लाल पुत्र तुलछीराम जाति जाट (डेलू) निवासी डेलवां, तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल आबाद केयर ऑफ मणीधर स्वीट हाऊस, तबाजार रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति सरावगी निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. दीपिका पत्नी कृष्ण कुमार जाति खदरिया निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. गणेश दास पुत्र सुन्दर दास जाति कुम्हार निवासी बिनादेसरा हाल पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. देवकीनन्दन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी पहाड़सर तहसील रावतसर जिला चूरू।
4. धर्मपाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. नीमा पुत्री गंगाराम जाति कुम्हार निवासी भरानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. भूरी पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. भागाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

8. मंगलाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9. रेशमा पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

10. रामस्वरूप पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी नोलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

11. लक्ष्मी देवी पत्नी निर्मल कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

12. विकेश पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति जाट निवासी पहाड़सर तहसील रावतसर जिला चूरू।

15. शिव भगवान पुत्र गोपाल राम जाति जाट निवासी हरसाबावड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

16. हेतराम पुत्र निरायणा राम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

17. हेतराम पुत्र ज्ञानाराम जाति कुम्हार निवासी घणियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

18. हरीराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

19. हीरा राम पुत्र बांगाराम जाति कुम्हार निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

20. राजस्थान सरकार ज[illegible]सर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

21. बुधाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

22. सुमन जागिंड़ पत्नी मोतीलाल जाति सुथार निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील संख्या 63/2020

1. भंवर लाल पुत्र तुलछीराम जाति जाट (डेलू) निवासी डेलवां, तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल आबाद केयर ऑफ मणीधर स्वीट हाऊस, तबाजार रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2. महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति सरावगी निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. दीपिका पत्नी कृष्ण कुमार जाति खदरिया निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2. ओम प्रकाश पुत्र सोहन लाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 10, पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

3. गणेश दास पुत्र सुन्दर दास जाति कुम्हार निवासी बिनादेसरा हाल पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4. देवकीनन्दन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी पहाड़सर तहसील रावतसर जिला चूरू।

5. धर्मपाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

6. नीमा पुत्री गंगाराम जाति कुम्हार निवासी मैरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. भूरी पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8. भागाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी मायला तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

9. मंगलाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10. रेशमा पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

11. राम प्रसाद पुत्र कृष्ण लाल जाति कुम्हार निवासी बिजारणियावाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

12. रामस्वरूप पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी नोलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

13. लक्ष्मी देवी पत्नी निर्मल कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

14. विकेश पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति जाट निवासी पहाड़सर तहसील रावतसर जिला चूरू।

15. शिव भगवान पुत्र गोपाल राम जाति जाट निवासी हरसाबावड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

16. हेतराम पुत्र निरायणा राम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

17. हेतराम पुत्र ज्ञानाराम जाति कुम्हार निवासी घणियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

18. हरीराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी [illegible]रानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

19. हीरा राम पुत्र बांगाराम जाति कुम्हार निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ़।

21. बुधाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

22. सुमन जागिंड़ पत्नी मोतीलाल जाति सुथार निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

— **रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रावतसर, दिनांक 13.03.2020,
प्रकरण संख्या 240/2019

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

उपस्थितिः—

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 17 अपील संख्या 53/2020
श्री भानूप्रताप सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10, 7 अपील संख्या 53/2020
श्री रामकुमार कस्वां, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6, 16, 19 अपील सं. 53/2020
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 06-9-2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया/ रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 का पेशकर कथन किया कि रोही मोजा पल्लू के खसरा नम्बर 250 [illegible] 10.[illegible] हैक्टेयर, 251 की 24.632 है., 253 की 6.424 है. कु[illegible]97 हैक्टेय[illegible] वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 20 की संयुक्त क[illegible] [illegible]री भूमि थी जिसका काफी समय पूर्व आपसी बंटवारा कर लिया था उसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। वादिया के हिस्सा में खसरा नम्बर 251 की 1.2658 हैक्टेयर जिसके उत्तर में खसरा नम्बर 240, 239 व दक्षिण में रामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 13 व पूर्व में मेगा हाईवे सड़क रावतसर से सरदारशहर व पश्चिम में खसरा नम्बर 251 की शेष भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 से 20 के हिस्सा में खसरा नम्बर 250 की 10.141 हैक्टेयर, 251 की 23.3662 हैक्टेयर, 253 की 6.424 हैक्टेयर कुल 39.9312 हैक्टेयर भूमि आई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की 1.265 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 की 0.1265 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 की 0.0062 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 4 की 0.253 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 5 की 0.253 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 6 की 3.8694 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 7 की 5.3109 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 8 की 0.3793 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 9 की 3.8567 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 10 की 2.529 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 11 की 2.276 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 12 की 4.2988 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 13 की 1.3074 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 14 की 2.0232 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 15 की 0.765 है., प्रतिवादी संख्या 16 की 0.1263 है., प्रति. सं. 17 की 7.726 है., प्रति. सं. 18 की 0.5085 है. प्रतिवादी संख्या 19 की 2.3203 है., प्रति. सं. 20 की 0.7334 है. भूमि आई। भूमि का खाता व लगान संयुक्त होने से आपस में परेशानी होती है। वादिया ने प्रतिवादी सख्ंया 1 से 20 को कई बार आपसी बंटवारे के अनुसार खाता विभाजन करने के लिए कहा, लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण पैदा हुआ। अतः निवेदन है कि वाद के अनुतोष मद 'क' के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

2. वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6, 9, 17, 18 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। वादी ने काउंटर क्लेम पर कोई एतराज नहीं किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 13.03.2020 को वादी का वाद एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 6, 9, 17 व 18 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम स्वीकार करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें इस न्यायालय में पेश हुई है।

3. चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना सुने, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के नाम से जो नोटिस जारी किये गये है वो अपीलांट पर समूचित रूप से तामिल नहीं हुए है। विभाजन के दावा में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने का प्रावधान है एवं राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 6, 9, 17, 18 के जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम को मध्य नजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जबकि अन्य प्रतिवादीगण पर कोई तामिल नहीं होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के उक्त दोनों अपीलें पेशकर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर बी जे 1995 पेज 927, आर आर टी 2017 पेज 473, आर आर टी 2017 (1) पेज 610, आर आर टी 2020 (2) पेज 839 की नजीरें पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 17 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। रेस्पोडेंट संख्या 17 ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः दोनों ही अपीलें खारिज की जावे।

7. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलांट द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरुद्ध क्रमशः 09.06.2020, 25.06.2020 को पेश हुई है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश हुए हैं। रेस्पोडेंट हेतराम पुत्र ज्ञानाराम द्वारा दफा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति में एवं अपीलांट को सुनकर पारित किया हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा दफा 5 के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए दोनों ही अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में वादिया द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 का पेश कियाथा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 6, 9, 17, 18 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम के आधार पर वाद को डिक्री कर दिया, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना नहीं पाया जाता है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियमों की पालना किया जाना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्बन्धित सभी पक्षकारों को सुनवाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त दोनों ही अपीलें स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रावतसर का दिनांक 13.03.2020 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.9.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested